(470)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, म0प्र0, (कैम्प रीवा)

R-2806-II/12

1- रामकृष्ण चतुर्वेदी (
2- रामानन्द चतुर्वेदी (सभी पुत्रगण राम प्रताप बा.
3- प्रेम शंकर चतुर्वेदी (
4- बलदाऊ चतुर्वेदी (
5- रमाशंकर चतुर्वेदी (
6- शिवराजा देवी पत्नी राम प्रताप बा.

सभी निवासी ग्राम बरैठी कला, तहसील त्योंथर, जिला रीवा, म0प्र0,

---- निगरानीकर्तागण

क्रमांक 2210 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 7-8-12 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

ओंकारनाथ तनय केदारनाथ गुप्ता, निवासी ग्राम बरैठी कला, तहसील त्योंथर, जिला रीवा, म0प्र0, हाल निवास ग्राम खीरी, तहसील कोरांव जिला इलाहाबाद उ. प्र. -

----- गैरनिगरानीकर्ता

अधिवक्ता श्री भैरवलाल तिवारी द्वारा प्रस्तुत
रीवा, दि० 3-08-2012
3-8-12

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर कलेक्टर रीवा के प्रकरण क्र. 437/अ-12/2010-11, आदेश दिनांक 27.7.2012,

=====================================

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई.।

=====================================

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्नहैः-

भूमि आराजी क्रमांक 35/5, 35/6, 35/7, 35/8, 35/9 को निगरानी कर्तागणों ने आवश्यकता की वजह से अर्सा पूर्व रामरक्षा बा. को जरिये

(98)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-2806-II/12 जिला रीवा

रामकृष्ण चतुर्वेदी/ओंकार नाथ गुप्ता

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
29/9/15	1. प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर कमिश्नर, रीवा के प्रकरण क्रमांक 437/अ–12/10–11 में पारित आदेश दिनांक 27.07.12 के विरुद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा–50 के अधीन प्रस्तुत की गई है। जिसमें मूल बिन्दु यह हे कि तहसीलदार त्यौथर के समक्ष भूमि नं0 35 के सीमांकन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। सीमांकन के मामले में पक्षकारों की भूमि के सीमा का विवाद निर्धारित होता है। तहसीलदार ने दिनांक 30.05.2011 को सीमांकन की कार्यवाही को सही मानकर उसकी पुष्टि किया है। 2. अपर कलेक्टर ने प्रश्नाधीन आदेश में यही निर्धारित किया है कि सीमांकन की कार्यवाही को जो पुष्ट किया गया है, उसमें अनियमितता नहीं है। निगरानीकर्ता का मूल बिन्दु यह है कि सीमांकन की कार्यवाही में निगरानीकर्ता को सूचना नहीं दी गई है। धारा–129 के अधीन यह व्यवस्था है कि हितधारी व्यक्ति अपनी भूमि का सीमांकन करा सकता है। ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता को उसके भूमि का सीमांकन कराने की अधिकारिता है। जहाँ तक निगरानीकार को सीमांकन कार्यवाही में सूचना नहीं देने का प्रश्न है। तत्संबंध में अपर कलेक्टर द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि निगरानीकर्तागण मौके पर सीमांकन के समय उपस्थित थे किन्तु पंचनामा में हस्ताक्षर नहीं किये हैं तथा उनके द्वारा प्रस्तुत आपत्ति की भी विधिवत निराकृत कर सीमांकन की पुष्टि की गई है। 3. उपरोक्त आपत्ति के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश को निरस्त करने प्रथम दृष्टया कोई आधार नहीं है। फलतः यह निगरानी इसी प्रकम पर निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाय। तत्पश्चात् प्रकरण अभिलेखागार भेजा जाय। यह प्रकरण दायरा पंजी से कम किया जाय। सदस्य	